मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना

1. प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु यौद्धाओं की तरह सेवा दे रहे कर्मियों के कल्याण के लिए "मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना" लागू की जाती है।

2. उद्देश्य

मध्य प्रदेश राज्य के कोविड-19 प्रभावित रोगियों/नागरिकों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे, कोविड-19 योद्धाओं के कल्याण के लिए, यह योजना लागू की जा रही है।

3. पात्र कर्मी

3.1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग के समस्त सफाई कर्मचारी, वार्डबॉय-, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

3.2. नगरीय प्रशासन विभाग के समस्त सफाई कर्मचारी।

3.3. गृह विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग शहरी स्थानीय निकायों सहित एवं अन्य विभागों के कर्मी जो कोविड-19 महामारी के लिए अपनी सेवायें प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हैं। ।

3.4. इस योजना में शामिल करने के उद्देश्य से कर्मी का आशय राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड/ निगम/प्राधिकरण/एजेंसी/कंपनियों आदि के द्वारा नियुक्त स्थायी/ अनुबंधित/ दैनिकवेतन/तदर्थ/ आउटसोर्स/ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं।

3.5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याब पैकेज बीमा योजना के तहत बीमित स्वास्थ्य कर्मी के अतिरिक्त अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मी इस योजना के लिए पात्र होंगे ।

4. <u>योजना के तहत कवरेज</u>:

- कोविड-19 के कारण जीवन की हानि, एवं
- कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु।

कोविड-19के कारण जीवन की हानि के सम्बन्ध में पॉजिटिव मेडिकल परीक्षण को प्रमाणित करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट आवश्यक है। हालांकि, कोविड-19 संबंधित संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

5. <u>अधिकतम वित्तीय कवरेज</u>:

5.1. इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को रुपए 50.00 लाख का भुगतान किया जाएगा।

5.2. संगरोध अवधि (Quarantine Period) के दौरान या कोविड योद्धाओं के उपचार के लिए किसी भी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसके दावेदार को भुगतान या देय नहीं होगा।

5.3. इस योजना के Clause **3.4** के प्रावधान के अधीन रहते हुए, योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि, कर्मी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गयी अन्य बीमा पालिसी अथवा शासन की कर्मी के लिए लागू बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के
अतिरिक्त होगी।

6. <u>योजना की अवधि :</u>

यह योजना 30 मार्च 2020 से लागू होगी और 30 जून 2020 तक लागू रहेगी।

7. <u>सक्षम अधिकारी</u>:

जिला कलेक्टर अपने जिला क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी होगा।

8. <u>आहरण एवं संवितरण अधिकारी</u> (डीडीओ):

अपने जिला क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी दावे के प्रसंस्करण(Processing)/विमोचन(Release) के उद्देश्य से सम्बन्धित जिला कलेक्टर आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) होगा। दावा प्रसंस्करण (Processing) के उद्देश्य से, डीडीओ सामान्य कोषालयीन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला कोषालय को दावों का बिल प्रस्तुत करेगा।

9. <u>निधि का आहरण</u>:

इस योजना के तहत किसी भी दावे के लिए राशि राहत मद से मांग संख्या 58-2245-(5504)-51 से विकलनीय होगी ।

10. <u>दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>:

अ. दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों (परिशिष्ट-I) के साथ दावा प्रपत्र भरकर इसे संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

ब. संबंधित कार्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र देगा और इसे सक्षम अधिकारी (Clause7- जिला कलेक्टर) को अग्रेषित करेगा।

स. सक्षम अधिकारी (Clause 7-जिला कलेक्टर) दावे को प्रसंस्करण करेगा, स्वीकृति जारी करेगा, बिल तैयार करेगा और दावे की राशि को जारी करने के लिए जिला कोषालय में बिल जमा करवाएगा। कोषालय के द्वारा सम्बंधित व्यक्ति के खाते में राशि जारी की जायेगी।

द. दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **30 सितम्बर 2020** अथवा योजना की अवधि समाप्ति के तीन माह जो भी बाद में हो।

ई.दावा राशि हेतु पात्रता के क्रम में पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) प्रथम हकदार होंगे। इनके न रहने की स्थिति में विधिक सन्तानो (विवाहित पुत्री को छोड़कर) एक से अधिक होने पर बराबर राशि, विधवा/परित्यकता पुत्री/विधवा पुत्र वधु (यदि वह पूर्णत: आश्रित हो) माता पिता, भाई-बहन (यदि वह पूर्णत: आश्रित हो) को क्रमिक रूप से दावा राशि हेतु पात्रता होगी।

प्रमुख सचिव पदेन
राहत आयुक्त
राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश

अ.कोविड-19 के कारण जीवन की हानि के मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

I. नामांकित/दावेदार व्यक्ति के द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र।

II. मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

III. दावेदार का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

IV. मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रति)

V. प्रयोगशाला रिपोर्ट जिसमे यह प्रमाणित किया गया हो की कोविड-19 (मूल या प्रमाणित प्रति में) के परीक्षण में सकारात्मक परिणाम आये थे

VI. जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश (प्रमाणित प्रति)

VII. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल में)

VIII. रद्द (कैंसिल) किया हुआ गया चेक (वांछनीय) (मूल में)

ix. संवंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमे यह प्रमाणित किया गया हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी था/कार्यरत था एवं कोविड- 19 के रोकथाम हेतु कार्य कर रहा था।

ब. कोविड-19से संवंधित सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु के मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

I. नामांकित दावेदार व्यक्ति के द्वारा विधिवत भरा और/हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र।

II. मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

III. दावेदार का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

IV. मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रति)

V. जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो, उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश (यदि अस्पताल में मृत्यु हुई हो) (प्रमाणित प्रति)

VI. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल में)

VII. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रमाणित प्रति)

VIII. रद्द (कैंसिल) किया हुआ गया चेक (वांछनीय) (मूल में)

IX. एफ आई आर (प्रमाणित प्रति)

X. संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमे यह प्रमाणित किया गया हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी था/कार्यरत था एवं कोविड- 19 के रोकथाम हेतु कार्य कर रहा था।

प्रमुख सचिव पदेन
राहत आयुक्त
राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश